

 सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	पौष 15, सोमवार, श॥के 1947- जनवरी 05, 2026 Pausa 15, Monday, Saka 1947- January 05, 2026	

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड (I)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य-प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, उप-विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम।

वित्त (वित्तीय नियम) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, जनवरी 02, 2026

जी.एस.आर.107 :-राजस्थान राजभाषा अधिनियम, 1956(1956 का अधिनियम संख्या 47) की धारा 4 के परन्तुक के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.2(1)/एफडी/एसपीएफसी/2025 दिनांक 01.12.2025 का हिन्दी अनुवाद सर्वसाधारण की सूचनार्थ एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है:-

राज्यपाल के आदेश

से,

महेन्द्र मोहन,

संयुक्त शासन सचिव।

वित्त (वित्तीय नियम) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, दिसम्बर 01, 2025

राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के नियम 32 के साथ पठित राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 (2012 का अधिनियम सं. 21) की धारा 6 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार की सामाजिक-आर्थिक नीतियों, केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार के विभागों और उद्यमों के संसाधनों और विशेषज्ञता के उपयोग और उपापन संस्थाओं के व्यक्तिशः बोलियों के आमंत्रण और प्रक्रिया में अपेक्षित समय, धन और प्रयासों की बचत के लिए यह आवश्यक है, इस विभाग की, समय-समय पर यथासंशोधित, अधिसूचना संख्यांक एफ.1(8)/एफडी/जीएफएण्डएआर/2011 दिनांक 04 सितम्बर, 2013 में इसके द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

संशोधन

उक्त अधिसूचना की सारणी में विद्यमान क्रम संख्यांक 51 और उसकी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

“

51.	भवनों से संबंधित मूल संकर्म और मरम्मत और अन्य संकर्म	(क) राज्य सरकार के निम्नलिखित संकर्म विभाग,- (i) सार्वजनिक निर्माण विभाग (ii) लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग (iii) जल संसाधन विभाग (iv) वन विभाग (v) कमांड एरिया विकास विभाग (ख) राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड, राजस्थान नगरीय पेयजल सीवरेज एवं आधारभूत निगम लिमिटेड, राजस्थान पुलिस आवासन और निर्माण निगम लिमिटेड, रियल एस्टेट डवलपमेंट एण्ड कन्सट्रक्शन कॉर्पोरेशन ऑफ राजस्थान लिमिटेड या राजस्थान सरकार का कोई बोर्ड या सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम जो संकर्मों के निष्पादन में लगा हुआ है। (ग) केन्द्रीय सरकार का कोई बोर्ड या सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम जो संकर्मों के निष्पादन में लगा हुआ है।	राज्य सरकार के संकर्म विभाग द्वारा प्रभारित किये जाने वाले उपरिव्यय वित्त विभाग द्वारा विनिश्चित किये जायेंगे। कार्यकारी अभिकरण द्वारा प्रभारित किये जाने वाले उपरिव्यय निम्नानुसार होंगे:- मूल संकर्म और मरम्मत,- (i) 100 करोड़ रुपये तक - 9 प्रतिशत (ii) 100 करोड़ रुपये से - 9 करोड़ रुपये + अधिक किंतु 300 करोड़ रुपये तक से अधिक का 7 प्रतिशत (iii) 300 करोड़ रुपये से - 23 करोड़ रुपये + अधिक 300 करोड़ रुपये से अधिक का 5 प्रतिशत कार्यकारी अभिकरण द्वारा प्रभारित किये जाने वाले उपरिव्यय वित्त विभाग द्वारा विनिश्चित किये जायेंगे।
-----	--	---	---

”

[एफ.2(1)/एफडी/एसपीएफसी/2025]

राज्यपाल के आदेश से,

महेन्द्र मोहन,

संयुक्त शासन सचिव।